

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित

न्यायालय (प्रथम), भदोही-ज्ञानपुर।

विशेष परीक्षण संख्या-133 सन 2024



सी.एन.आर.यू.पी.एस.नं०10005372024

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

रफीक अहमद ।

अपराध संख्या-337 सन 2020

धारा-138(1)(b)भा०वि०अधि०

थाना-ए.पी.टी.जनपद- भदोही।

दिनांक-09.06.2026

1. आज आवेदक/अभियुक्त रफीक अहमद पुत्र अब्दुल सत्तार, निवासी ग्राम-दरवांसी, थाना कोईरौना, जनपद भदोही की ओर से अपराध स्वीकारोक्ति का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि मुकदमा चलने से उसे हैरानी व परेशानी होगी। अतः जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमा समाप्त किये जाने का निवेदन किया।
2. अभियुक्त के प्रार्थनापत्र पर विद्युत विभाग की ओर से नामित शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह आख्या दी गयी है कि अभियुक्त रफीक अहमद पुत्र अब्दुल सत्तार, निवासी ग्राम-दरवांसी, थाना कोईरौना, जनपद-भदोही के विरुद्ध थाना ए.पी.टी.भदोही में विद्युत अधिनियम की धारा-138(1)(b)के अन्तर्गत विद्युत विभाग का मु० 100185.00 रुपया बकाये के कारण कनेक्सन विच्छेदित किए जाने के उपरांत उसके द्वारा स्वतः संयोजन जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है।
3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
4. उल्लेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध विद्युत बिल मु० 100185.00 रुपया बकाये के कारण उसका कनेक्सन विच्छेदित किए जाने के पश्चात उसके द्वारा बिना अनुमति के स्वतः संयोजन जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में अभियोग दर्ज है। आवेदक/अभियुक्त उक्त अपराध के बावत अपना जुर्म स्वेच्छया स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को मु०8000/-रुपये (आठ हजार) रुपये के

अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को पन्द्रह दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतना होगी ।

4. बादहू अभियुक्त रफीक अहमद के द्वारा रसीद संख्या-398040 के जरिये मु० 8000/-जमा किया गया है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक 09.06.2026

(पुष्पा सिंह)
विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
(प्रथम)भदोही।